न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 38/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
छोटूराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी कितलसर तहसील डेगाना जिला नागौर।		राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 03.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 70/2020 सरकार बनाम छोटूराम में निर्णय दिनांक 18.08.2020 के तहत मौजा कितलसर के खसरा नं. 503 गै.मु. नाडी भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.08.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 08.09.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार डेगाना के प्रकरण सं. 70/2020 सरकार बनाम छोटूराम के फर्द अहकाम दिनांक 5.8.20 से 18.8.20 की फोटोप्रति तथा निर्णय दिनांक 18.08.2020 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–जैर अपील आदेश विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट का खसरा नं. 503 पर कोई किसी भी तरह का अतिक्रमण नही है और न ही कभी था। लेकिन राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से गलत, झूठी रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय मे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट के कब्जाकाश्त व स्वामित्व का खेत खसरा नं. 502 आया हुआ है तथा जिस खेत का राजस्व मंडल, अजमेर के द्वारा रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश हो रखा है तथा खेत खसरा नं. 502 व 503 के मध्य की सीमा पर कोई परिवर्तन किया जाता है तो न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी मे आता है तथा खसरा नं. 503 के किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नही है।

{2}(IV)–पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय मे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जो रिपोर्ट खसरा नं. 502 व 503 की सीमा का बिना सीमाज्ञान किये ही राजनैतिक प्रभाव मे आकर बिल्कुल ही झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सीमाज्ञान करवाने का भी निवेदन किया था कि अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है तथा सीमाज्ञान करवाया जावे। अगर अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण हटाने के लिये तैयार है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सीमाज्ञान नही करवाया गया। जबकि स्पष्ट है कि सीमाज्ञान के अभाव मे अपीलांट का खसरा नं. 503 पर अतिक्रमण है या नही है। इसकी जानकारी नही हो सकती। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के महत्वपूर्ण कथन को नजर अंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(V)–अपीलांट के कब्जाकाश्त का खेत खसरा नं. 502 के चिपता ही खसरा नं. 503 आया हुआ है तथा खसरा नं. 502 की भूमि मौके पर रेकर्ड मे दर्ज रकबा से कम है और खसरा नं. 503 पर कोई किसी भी तरह का अतिक्रमण नही है। लेकिन पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय पर राजनैतिक दबाव होने से सीमाज्ञान नही करवाया गया तथा सीमाज्ञान के अभाव मे अपीलांट का अतिक्रमण है या नही है। इसकी जानकारी नही हो सकती है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलांट के खेत के पडोसी खेताय के खातेदार अपीलांट की हक व अधिकारों की भूमि

अपर कलक्टर, नागौर

खसरा नं. 502 मे से रास्ता निकालना चाहते है। जबकि शिकायत कर्ताओं ने झूठी शिकायत पेश की गई है और अब अतिक्रमण के बहाने अपीलांट को खसरा नं. 502 की भूमि से बेदखल कर खसरा नं. 502 की भूमि से रास्ता कायम करना चाहते है। अगर सीमाज्ञान किया जाता है तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। लेकिन पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय पर राजनैतिक दबाव होने की वजह से जानबूझकर सीमाज्ञान नही करवाया गया। इनका उददेश्य मात्र अपीलांट को खसरा नं. 502 से बेदखल करने का रहा है। जबकि अपीलांट सीमाज्ञान करवाने के लिये व सीमाज्ञान करवाने पर अगर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने को तैयार है। फिर भी सीमाज्ञान नही करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(VII)–खेत खसरा नं. 502 व 503 का सीमाज्ञान करवाया जाता है तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और सारे विवाद खत्म हो जायेगा। लेकिन पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी है खसरा नं. 503 पर अपीलांट का कोई किसी भी तरह का कब्जा व अतिक्रमण नही है। इसलिये बिना कोई सीमाज्ञान किये ही मात्र अतिक्रमण के बहाने से अपीलांट को खसरा नं. 502 से बेदखल करना चाहते है तथा अपीलांट का खसरा नं. 503 पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नही था और न ही आज दिन है और न ही कभी बेदखल किया गया था। लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण झूठी व मिथ्या फर्द तैयार की गई है तथा अपीलांट का खसरा नं. 503 पर किसी तरह का अतिक्रमण नही था और न ही कभी बेदखल किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(VIII)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी से जिरह करने/साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नही दिया गया। ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है।

{2}(IX)–अपीलांट का मौके पर खसरा नं. 503 पर कोई किसी भी तरह का अतिक्रमण व कब्जा नही है। सीमाज्ञान करने पर अगर अपीलांट का एक इंच भूमि पर भी अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलांट छोडने को तैयार है। लेकिन बिना सीमाज्ञान किये ही अपीलांट को अतिक्रमी मानने मे कानून रूप से बडी भारी भूल की गई है और कानूनी रूप से बिना सीमाज्ञान अतिक्रमी नही माना जा सकता है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील आदेश निरस्तनीय है तथा अपीलांट ने इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कि मौजा कितलसर के खसरा नं. 503 रकबा 0.006 हैक्ट. गै.मु. नाडी पर अपीलांट का कोई किसी भी तरह का कब्जा व अतिक्रमण नही है तथा आज दिन उक्त खसरे से अपीलांट ने उक्त खसरे से कब्जा व अतिक्रमण हटा लिया है। आज दिन मौके पर कोई किसी तरह का कब्जा व अतिक्रमण नही है तथा इस भूमि पर भविष्य मे मै किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का अतिक्रमण व कब्जा नही करने को आश्वस्त भी किया है तथा भविष्य मे वापस कब्जा नही करने का प्रयास करने के लिये भी आवश्वस्त किया है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा कितलसर में स्थित गै.मु. नाडी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके कितलसर के खसरा नंबर 503 गै.मु. नाडी भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. नाडी है। अपीलांट द्वारा बहस के दौरान यह तर्क दिया गया कि उनके द्वारा आराजी भूमि से कब्जा हटा लिया गया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही करेगा। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे सजा के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर आदेश जैर अपील के तहत सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर अतिक्रमण है अथवा नही का, सत्यापन करवाया जावेगा। यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो आदेश जैर अपील के तहत सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावेगी। शेष बेदखली व जुर्माना वसूली का आदेश यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर